न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2850 / 2005 / झालावाड

घासीलाल पुत्र बद्रीलाल जाति बैरागी निवासी घडावली हाल निवासी आमेठा तहसील अकलेरा जिला झालावाड

.....अपीलार्थी

बनाम

1— मूर्ति नरसिंह भगवान मंदिर विराजमान निवासी घडावली तहसील अकलेरा जरिये व्यवस्थापक समिति ग्रामवासी घडावली, जिला झालावाड
2— भैरूलाल पुत्र अमरा जाति लोधा (फौत—नाम तर्क)
3— जानकीलाल पुत्र कंवरलाल जाति ब्राहमण
4— बीरमा पुत्र गेन्दा जाति लोधा (फौत—नाम तर्क)
समस्त निवासी घडावली तहसील अकलेरा जिला झालावाड
5— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :—

श्री मुकेश जैन, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री माघवराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण।

निर्णय दिनांक

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15—4—05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— अपील ज्ञापन के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 / वादीगण सं. 1 स 4 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,

91 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी अकलेरा के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम घडावली की आराजी खाता सं. 64 व पुरानी 61 की चार किता की 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी घासीलाल व उसकी माता रतूबाई के खाते दर्ज है तथा रतूबाई का स्वर्गवास 10 साल पूर्व हो चुका है जिसका वारिस प्रतिवादी सं. 1 घासीलाल ही है तथा बद्रीलाल के जीवनकाल में उक्त आराजी से मंदिर की सेवा पूजा भी बद्रीलाल ही करता था किंतु उसके फौत होने के पश्चात् प्रतिवादी सं.1 ने मूर्ति की पूजा नहीं कर गांव छोडकर आमेठा रहने लगा जिसके कारण ग्राम वासियों ने सेवा पूजा की व्यवस्था अपने हाथ में लेकर दूसरा पुजारी जानकीलाल को नियुक्त किया। उक्त खाता सं. 64 में से खसरा नंबर 355 की 1 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नंबर 798 की 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि हीरालाल लोधा घडावली ने मूर्ति मंदिर को दान चढाई थी किंतु प्रतिवादी नंबर 1 के पिता बद्रीलाल ने उक्त आराजी अपने खाते दर्ज करवा ली। वादीगण ने प्रतिवादीगण से आराजी मंदिर के खाते दर्ज करवाने एवं कब्जा देने हेतु गई बार कहने के उपरांत प्रतिवादी द्वारा मना करने पर हस्तगत् वाद प्रस्तुत करना पडा। न्यायालय उपखंड अधिकारी अकलेरा ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–8–02 से वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी की अपील अपने निर्णय दिनांक 15–4–05 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादीगण ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। आराजी खसरा नंबर 355 व 798 का अपीलांट खातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजी उसे पैतृक संपत्ति के रूप में अपने पिता से प्राप्त हुई है, जिसका मूर्ति मंदिर से कोई सम्बंध नहीं है। उक्त आराजी पिछले 30–35 सालों से उसके खाते में दर्ज होकर कब्जेकाश्त चली आ रही है। रेस्पोडेंट का दावा अंतर्गत धारा 183

बेरूनमियाद था तथा उक्त वाद प्रस्तुत करने का अधिकार वादी को नहीं था। मंदिर मूर्ति की आराजी खसरा नंबर 300 की 14 बिस्वा आराजी है जो उनके खाते में दर्ज है। विवादित आराजी रेस्पोडेंट नंबर 2 व 4 द्वारा मंदिर मूर्ति को दान नहीं दी गई है और ना ही इस सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। केवल मौखिक तौर पर किसी चीज को लिख देने मात्र से यह प्रमाणित नहीं हो जाता। वादी ने स्वयं अपने वाद में कथन किया कि प्रतिवादी अपीलांट दूसरे गांव में 15 सालों से निवास कर रहे है जिससे यह स्पष्ट है कि 15 साल से भी लम्बे अर्से से उक्त आराजी अपीलांट के कब्जेकाश्त में है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 की पालना किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलांट की अपील खारिज की है। आज तक विवादित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त है। विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकियों का निस्तारण समुचित तरीके से नहीं किया गया है, इसके उपरांत भी अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुए रेस्पो/वादीगण का वाद नियमों के विरूद्ध स्वीकार कर डिक्री किया है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाये।

4— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0/वादीगण ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये बहस में कहा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है। विवादित भूमि रेस्पोडेंट की खातेदारी में थी जिसे रेस्पोडेंट सं.4 ने मूर्ति मंदिर के पक्ष में दान किया था तभी से विवादित आराजी पर मूर्ति मंदिर का कब्जाकाश्त जरिये रेस्पोडेंट चला आ रहा था। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करने के उपरांत निर्णय पारित करते हुए रेस्पो0/वादीगण का वाद डिक्री किया है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इसका समर्थन करते हुए अपीलार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया है। इस प्रकार दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसमें अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील खारिज की जावे ।

5— उभय पक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6— पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पो0/वादीगण सं. 1 स 4 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी अकलेरा के समक्ष विवादित आराजी के सम्बंध में पेश किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी अकलेरा ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29—8—02 से वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने निर्णय दिनांक 15—4—05 द्वारा खारिज कर दी। जिससे असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। वादी रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 ग्राम धडावली के खसरा नंबर 1787/18, 1798/183, 1807/232 तथा 1008/2032 कुल किता 4 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा रेस्पोडेंट सं.4 बीरमा पुत्र गेंदा लोधा की खातेदारी में दर्ज है तथा पी. डब्ल्यू.2 बीरमा पुत्र गेंदा लोधा ने उक्त आराजी मंदिर के पक्ष में दान करना स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 व 4 के अनुसार खसरा नंबर 798 की 3 बीघा 16 बिस्वा आराजी हीरालाल लोधा ने मूर्ति की सेवा पूजा हेतु दान की थी। बयान पी.डब्ल्यू.3 बलराम ने अपने पिता हीरालाल लोधा द्वारा उक्त आराजी मंदिर मूर्ति को दान करना स्वीकार किया है। उक्त आराजी को पुजारी ब्रदीदास ने अपने खाते दर्ज करवा ली जिसका उसे अधिकार नहीं था। दान की गई आराजी मूर्ति मंदिर की सेवा पूजा हेतु दी गई थी ऐसी स्थिति में विवादित आराजी मूर्ति मंदिर के खाते में दर्ज होनी चाहिये। विवादित आराजी बीरमा एवं हीरालाल की खाते की होना अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है तथा उक्त आराजी मूर्ति मंदिर को सेवा पूजन हेतु दान देना भी स्पष्ट है ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखंड अधिकारी अकलेरा द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत तथा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29—8—02 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है, जिसकी अपील प्रतिवादीगण/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 15–4–05 द्वारा खारिज करते हुए न्यायालय उपखंड अधिकारी अकलेरा का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–8–02 यथावत् रखा।

7– इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि योग्य विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी अकलेरा ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम करते हुए विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–8–02 से डिक्री पारित करने में तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 15–4–05 से योग्य विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में विधि या तथ्य संबंधी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें विधि या तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि प्रकट नहीं होती हैं, जिसके आधार पर द्वितीय अपील के दौरान उक्त निर्णयों में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः हस्तगत अपील सारहीन होने से एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख इस न्यायालय की निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष